न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल सं.309/रेफरेंस/10 (GCMS No.2010/00136)	25.10.2010	02.11.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

शिव आ. हरिश्चन्द्र, रामरतन,विश्वनाथ पि.धनपतराय करनानी
जुगलकिशोर आ.धनपतराय करनानी,
कान्तीदेवी पत्नी विश्वनाथ करनानी, इन्द्रादेवी पत्नी भगवतीप्रसाद
पेरीवाल, मेनका देवी पत्नी जुगलकिशोर करनानी,
लीलाधन, विष्णुदयाल पि. मोहनलाल, मेनकादेवी,सुशीलादेवी,
प्रमिलादेवी पुत्रियां मोहनलाल चिन्तलागिया,
निवासी ग्राम खेरूणा, तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री विनय कुमार सक्सैना एडवोकेट।

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी ने अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम खेरूणा के खसरा संख्या 531 रकबा 2–04 बीघा में से 1–15 बीघा, 532 रकबा 6 बीघा में से 2–06 बीघा एवं 845/530 रकबा 60–16 बीघा में से 32–19 बीघा **कुल** रकबा 37 बीघा को कब्जे राज लेकर भू प्रबन्ध से पूर्व की किस्म 'गे.मु.तालाब' राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने तथा अप्रार्थी के नाम की अवैध प्रविष्ठी को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर;

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री विष्णुदयाल एवं लीलाधर की ओर से वकील श्री विनय कुमार सक्सैना उपस्थित है। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 01.07.2020 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि (पुराने खसरा सं. 357) की किस्म 1947 से पूर्व 'तालाब' दर्ज रेकार्ड थी, जो पानी के बहाव के काम में आती थी तथा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरीत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा यह भूमि अवैध रूप से अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज कर दी गयी। अप्रार्थीगण को विवादित भूमि पर कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पूर्वानुसार तालाब राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि वादग्रस्त आराजी कभी गैर मुमकिन तालाब नहीं रही हैं और न ही वर्तमान में इस भूमि में पानी भरता है। उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण लगातार काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थीगण बहैसियत खातेदार कृषक काश्त कर रहे है। यह भूमि अप्रार्थीगण की आजीविका का साधन है। रेफरेंस प्रकरण काफी विलम्ब से पेश किया गया है, जो मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण में लागू नही होता है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने इस रेफरेन्स का विलम्ब से पेश किया जाना बहस के दौरान प्रकट किया है किन्तु रेफरेन्स पेश करने की कोई समय सीमा तय नहीं है। अतः रेफरेंस का निर्णय हम गुणावगुणों पर किया जाना उचित समझते है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2000 से 2004, मिलान क्षैत्रफल 2028 से 2047 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से यह प्रकट है कि ग्राम खेरूणा की विवादित भूमि के पुराने खसरा संख्या **357** थे तथा वर्ष 1947 से पूर्व इस भूमि की किस्म **तालाब** अंकित थी एवं यह भूमि राजकीय भूमि थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह भूमि अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गयी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार नियम विरूद्ध

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; ब

है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका सं.1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र सं. 9213–9244 दिनांक 13.11.07 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम खेरूणा में विस्थित भूमि वर्तमान खसरा सं. 531 रकबा 2–04 बीघा में से 1–15 बीघा, 532 रकबा 6 बीघा में से 2–06 बीघा एवं 845/530 रकबा 60–16 बीघा में से 32–19 बीघा कुल किता 3 **कुल** रकबा 37 बीघा पर अप्रार्थीगण को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि पूर्ववत राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु.तालाब दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर को भिजवाया जाता है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर रेफरेंस प्रकरण निबंधक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जावें।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी